कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

श्री हेमन्त कुमार,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–15,
बुलन्दशहर।

उत्तर प्रदेश शासन एवं अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर नवीन भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं विवेचकों के प्रशिक्षार्थ दिनांक 23.03.2024 को पुलिस लाइन बुलन्दशहर में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यशाला में उक्त नवीन अधिनियमों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण अधिकारियों तथा विवेचकों को प्रशिक्षार्थ व्याख्यान हेतु आपको नामित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23.03.2024 को उक्त कार्यशाला में पर्यवेक्षण अधिकारियों तथा विवेचकों को प्रशिक्षार्थ व्याख्यान हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(पंकज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
22.03.2024

//प्रमाण पत्र//

उत्तर प्रदेश शासन एवं अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों पर नवीन भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के उपबन्धों के सम्बन्ध में पुलिस क्षेत्राधिकारियों और विवेचकों को प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 23.03.2024 को पुलिस लाइन सभागार बुलन्दशहर में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यशाला में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा नामित विद्वान **अपर सत्र न्यायाधीश मा0 श्री हेमन्त कुमार जी** द्वारा कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया तथा नवीन अधिनियमों के सम्बन्ध में अपनी अद्भुत वाक्शक्ति एवं व्याख्यान से प्रशिक्षणार्थियों का ज्ञानवर्धन किया गया। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

दिनांकः–23.03.2024

23.03.2024

(नवीन कुमार दुबे)
संयुक्त निदेशक अभियोजन,
जनपद बुलन्दशहर।